पंचायत निर्वाचन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण

(रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल
(अप्रैल, 2019)

प्रस्तावना

1. मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। सही और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) दोष रहित हो। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूची में ऐसे सभी लोगों के नाम सम्मिलित हों जिन्हें कानून के अंतर्गत मत देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने से सम्बंधित उनके महत्वपूर्ण दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका को प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2016 के बाद (01.01.2016) मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण संशोधनों को इस मार्गदर्शिका में शामिल किया गया है। वर्ष 2018 से ERMS एप्लिकेशन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। उक्त बदलावों का भी समावेश मार्गदर्शिका में किया गया है।

3. इस बात का प्रयास किया गया है कि इन निर्देशों में ऐसे सभी आवश्यक कदमों को शामिल किया जाये, जिनकी जानकारी मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को होनी आवश्यक है, तथापि इन निर्देशों को सर्वसमावेशी नहीं समझा जाना चाहिए और सुसंगत निर्वाचन विधि तथा नियमों का संदर्भ लिया जाकर कार्यवाही की जाना चाहिए।

4. मतदाता सूचियाँ तैयार करने के कार्य में सम्बद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों का सावधानी से अध्ययन और अनुशीलन करेंगे ताकि पंचायतों के निर्वाचन के लिये सही मतदाता सूचियाँ तैयार हो सकें।

भोपाल

तारीख़ – अप्रैल, 2019

बसंत प्रताप सिंह
आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

विषय–सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान	1–3
2.	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अर्हता और निरर्हता	4
3.	मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया	5–6
4.	कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण	7–9
5.	विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना	10–14
6.	प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना	15–19
7.	मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन	20–22
8.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना	23–29
9.	कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना	30–32
10.	दावों और आपत्तियों की जाँच और उनका निपटारा	33–34
11.	अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन	35–36
12.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	37
13.	विविध	38

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
एक	मतदाता सूची तैयार करने से सम्बंधित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का उद्धरण	39–41
दो	मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित ''मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995'' का उद्धरण	42–45
तीन	पंचायतों की मतदाता सूचियों के सम्बंध में पूर्व सूचना	46
चार	प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	47–48
पाँच	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	49–50
छः	मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना	51
सात	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा–आवेदन (ER-1)	52–53
आठ	मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर आपत्ति–आवेदन (ER-2)	54–55
नौ	मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए संशोधन–आवेदन (ER-3)	56–57
दस	मतदाता सूची से नाम हटाया जाना	58
ग्यारह	मतदाता सूची में नाम शामिल करना	59
बारह	दावे, आपत्तियों का दैनिक विवरण	60–61
तेरह	दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर	62
चौदह	आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना का प्ररूप	63–64
पन्द्रह	अनुपूरक मतदाता सूची	65
सोलह	मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना	66
सत्रह	रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील (ER-4)	67–68
अठारह	प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण–पत्र	69
उन्नीस	अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाण–पत्र	70

सेम्पल

	सेम्पल–1 से लेकर सेम्पल–6(3) तक	71–76

अध्याय–1

मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान

1. प्रशासनिक तंत्र :

1.1 मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 2(ङ) में, प्रत्येक जिले में पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, कलेक्टर को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के रूप में नियुक्त किया गया है।

1.2 आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है। उसके नियंत्रण और सर्वोपरि भूमिका के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची, वार्डवार तैयार करने, उसे प्रकाशित करने, उसके संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके सूची को अंतिम रूप देने का दायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है।

1.3 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–2(ज) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए प्रत्येक विकासखण्ड के लिए एक या अधिक, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त किये जाते हैं। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है। वर्तमान में विभिन्न स्तर के राजस्व अधिकरियों को ही सामान्यतया रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण नियुक्त किया जाता है।

1.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में संबंधित जनपद पंचायत का संपूर्ण क्षेत्र रहता है और वह सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन देने तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य निम्नांकित हैं :–

1. फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करना और उसके प्रारंभिक प्रकाशन के लिए आवश्यक प्रचार–प्रसार करना।
2. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देना और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना।
3. मतदाता सूची का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के उपयुक्त स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था करना।
4. निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का चयन करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें आवश्यक प्ररूप (फार्म) तथा सामग्री उपलब्ध कराना।
5. कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करना।
6. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट करना।

7. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची में संबंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करना।

8. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में विलोपित मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची के संबंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड से हटाना।

9. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची में यथासंशोधित करना।

10. शिफ्टिंग संबंधी विवादों का निराकरण।

11. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना।

12. फोटोरहित जेनरेट प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।

13. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।

14. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।

15. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

16. जाँच सूची में शामिल मतदाताओं के संबंध में गहन स्थानीय जाँच कराना और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित करना। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के संबंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही करना।

17. मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची (डुप्लिकेट सूची) के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही करना।

18. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की एन्ट्री के लिये आवश्यक व्यवस्था करना।

19. दावे आपत्ति आवेदन पत्रों पर बारकोड स्टीकर चस्पा करना।

20. दावे आपत्ति आवेदन पत्रों का समयसीमा में निराकरण करना।

21. दावे आपत्ति के निराकरण उपरांत अनुपूरक सूची तैयार कर अंतिम मतदाता सूची जेनरेट करना।

22. फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची डिजीटल हस्ताक्षर से वेबसाईट पर अपलोड करना।

23. फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर विहित स्थानों पर प्रकाशन करना।

24. अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन संबंधी प्रमाणपत्र को वेबसाईट पर अपलोड करना।

25. वार्ड का नजरी नक्शा तैयार करना।

26. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का सशुल्क निरीक्षण करने या उसके किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूची के विक्रय की व्यवस्था करना।

27. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची, सभी कागज–पत्रों सहित (जिसमें प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावों और आपत्तियों से संबंधित प्रकरण और उनमें पारित आदेश इत्यादि सम्मिलित हैं) जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना।

1.5 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील प्राधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी को अपील कर सकता है। अपील प्राधिकारी की नियुक्ति मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–2(ख) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है।

1.6 **कानूनी प्रावधान :**

(1) **अधिनियम–**मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मतदाताओं की अर्हता या निरर्हता तथा मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में जो प्रावधान हैं, उनका उद्धरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

(2) **नियम–**उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये "निर्वाचन नियम", "मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995" कहलाते हैं। इन नियमों के अंतर्गत मतदाता सूची तैयार करने से सम्बंधित **परिशिष्ट–दो** पर उद्धत हैं।

1.7 **पदाभिहित अधिकारी :**

राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिन अधिकारियों को पंचायतों की मतदाता सूचियों में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए नियम–9(2) के अंतर्गत, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम–2(ख) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है, उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	रजिस्ट्रीकरण कार्य से सम्बंधित पद जिसके लिए पदाभिहित किया गया है	धारित मूल पद	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	**कलेक्टर द्वारा नामांकित तथा जिला मुख्यालय में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).	अनुभाग में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा.
2.	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	1. तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार *2. अधीक्षक, भू–अभिलेख/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र/ग्राम पंचायतें. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र/ग्राम पंचायतें.
3.	अपील प्राधिकारी	**अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट राजस्व अनुभाग या तहसील या खण्ड (अर्थात् जनपद पंचायत क्षेत्र).

*मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 फरवरी 1999.

**मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–414, दिनांक 22 अगस्त 2009.

*_*_*_*

अध्याय–2

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अर्हता और निरर्हता

2.1 प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाएगी।

2.2 मतदाता सूची तैयार करने के लिये अर्हकारी तारीख़ (Qualifying date) उस वर्ष की पहली जनवरी होगी, जिस वर्ष में उसे तैयार किया जाए।

2.3 **मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अर्हता –** कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिए हकदार होगा, यदि वह :–

(क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,

(ख) उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी अर्थात् सामान्यतः निवासी है, और

(ग) विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त ग्राम पंचायत से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित हैं।

2.4 **मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये निरर्हता –** कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह :–

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) पागल (विकृत चित्त का) है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है; या

(ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्धि के समय पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है।

(ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान करने के लिये अयोग्य है।

2.5 किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, नाम उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा :–

परंतु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है, उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो।

*_*_*_*

अध्याय–3

मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण प्रक्रिया

3.1 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्ररूप–1 में तैयार किए जाने के प्रावधान हैं। म.प्र.पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–14 में नवीन संशोधन पश्चात् अब ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाने का प्रावधान है।

3.2 विगत वार्षिक पुनरीक्षण में कतिपय जिलों में मतदाता सूची तैयार करने में कुछ मानवीय और तकनीकी त्रुटियाँ हुई थी। त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाईन एप्लिकेशन ERMS (Electoral Roll Management System) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किये है :–

- परिसीमन सम्बंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। कंट्रोल टेबल में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से मान्य किया जायेगा। संशोधित कंट्रोल टेबल के अनुसार आधार पत्रक तैयार कर, मार्किंग कर मतदाताओं की शिफ्टिंग करना भी अनिवार्य किया गया है।
- विधानसभा की मतदाता सूची के नामों के छूटने की त्रुटि के निराकरण के लिए शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत् प्रतिशत मार्किंग का प्रावधान किया गया है। शत् प्रतिशत मार्किंग नहीं होने पर प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं हो सकेगी।
- प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित प्रारूप मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
- डिजिटल हस्ताक्षर से दावे आपित्तयों के निराकरण हेतु समयसीमा बढ़ाई जा रही है। समय की कमी के कारण विगत वर्षों में कुछ रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियम विरूद्ध डी.एस.सी. डोंगल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को सौंप दिये जाने के मामलें प्रकाश में आये है।
- अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में हुई त्रुटियों के निराकरण के लिए फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है एवं अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन सम्बंधी प्रमाणपत्र को स्केन कर अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
- मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए डेशबोर्ड तैयार किया गया है। कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डेशबोर्ड से रियल टाईम पर पुनरीक्षण सम्बंधी की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की जा सकेगी।

3.3 फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, म.प्र. को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर नियुक्त किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथाआवश्यक सुधार भी कर लें।

3.4 समस्त ग्राम पंचायतों की पहली जनवरी की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।

- **प्रथम चरण** – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।

- **द्वितीय चरण** – विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

- **तृतीय चरण** में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

--*-*

अध्याय–4

कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण

4.1 वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट **(संलग्न सेम्पल–1 अनुसार)** प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में जिले का नाम, विकासखण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड, ग्राम, कुल मतदाता और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।

4.2 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

4.3 विगत वर्षों में पुनरीक्षण की कार्यवाही में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतें अथवा उनके कुछ भाग नगर पालिका में शामिल हो गये है, इसके बावजूद कंट्रोल टेबल से उनके नाम नहीं हटाये गये है और अभी भी उक्त क्षेत्र पंचायतों के रूप में प्रदर्शित हो रहे है।

4.4 इस सम्बंध में उपयुक्त कार्यवाही किये जाने के लिए वेण्डर से जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की सूची मतदाताओं की संख्या के घटते क्रम में प्राप्त की जाये। सूची में ग्राम पंचायत का नाम और उसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या दर्ज होगी। यह संख्या 0 या अन्य कुछ भी हो सकती है।

4.5 उक्त सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो उसे कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके है और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये है तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

4.6 यदि किसी पंचायत का आंशिक भाग नगरपालिका में शामिल हुआ है तो वेण्डर से उक्त पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त की जाये। जो वार्ड नगरपालिका में शामिल हो गये है उन्हें कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत वार्ड के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके है और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये है तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

4.7 यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।

4.8 यदि वर्तमान वर्ष में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदानुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही की जाये।

4.9 कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जेनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

4.10 प्रदेश में पंचायतों के लिए 600 मतदाताओं का और नगरपालिकाओं के लिए 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाये जाने के निर्देश आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये है, लेकिन समीक्षा में यह पाया गया है कि पंचायतों में लगभग 25 प्रतिशत और नगरपालिकाओं में लगभग 25 प्रतिशत तक मतदान केन्द्र निर्धारित सीमा से अधिक बनाये गये है। सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर एक मतदान केन्द्र को तोडकर दूसरा मतदान केन्द्र बनाया गया है। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक मतदान केन्द्र बढ़ते चले गये है, लेकिन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1200 हुई तो उसे 800 और 400 मतदाताओं के दो मतदान केन्द्र में विभाजित कर दिया गया है। भविष्य में 800 वाले मतदान केन्द्र के मतदाता यदि फिर बढ़कर 1200 हो गये तो उसे पुनः 02 भागों मे विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार 1600 मतदाताओं के लिए 03 मतदान केन्द्र बना दिये गये है, जबकि युक्तियुक्तकरण करने से 02 मतदान केन्द्रों में भी काम चल सकता था। मतदान केन्द्रों की अधिकता से न केवल चुनाव संबंधी प्रक्रियाएँ बढ़ती है, बल्कि निर्वाचन व्यय भी बढ़ता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अब मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया गया है।

4.11 मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का आशय यह नहीं है कि मतदान केन्द्रों की संख्या बेवजह कम की जाये। प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम 01 मतदान केन्द्र स्थापित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार 02 कि.मी. की भौगोलिक परिधि में भी मतदाता को मतदान केन्द्र उपलब्ध कराया जाना अभी आवश्यक रहेगा।

4.12 आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के प्रायोजन से प्रथम चरण की प्रक्रिया कंट्रोल टेबल के वेरिफिकेशन और अपडेशन में कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट में अब मतदान केन्द्र के साथ–साथ उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाताओं की संख्या भी प्रदर्शित होगी। कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट निकालकर मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में परीक्षण हेतु पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगरपालिका के लिए आयुक्त नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपी जाये।

4.13 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी मतदान केन्द्रों के संबंध में कंट्रोल टेबल का परीक्षण करेंगे और निम्नलिखित बिन्दुओं पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :–

- मतदाताओं की संख्याओं को युक्तियुक्त करते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में कमी किये जाने संबंधी प्रस्ताव।
- वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों के भवनों में युक्तियुक्त परिवर्तन के प्रस्ताव।
- मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक सीमा का ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्री करने का प्रस्ताव।

4.14 मतदान केन्द्रों की संख्या के संबंध में परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाये :–

- प्रत्येक पंचायत के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र।
- प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र।
- पंचायतों के लिए यथासम्भव 600 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्री मतदाता की संख्या 750 से अधिक होने पर ही की जाये।
- नगरपालिका के लिए यथासंभव 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्री मतदाता की संख्या 1200 से अधिक होने पर ही की जाये।
- नगरपालिका और पंचायत दोनों में 02 कि.मी. की भौगोलिक सीमा में एक मतदान केन्द्र अवश्य बनाया जाये।
- नदी–नाले, पहाड़ी आदि प्राकृतिक विषमताओं के साथ–साथ सामाजिक विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए भी मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें।

4.15 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त प्रस्तावों के आधार पर परीक्षण उपरांत मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के संबंध में यथोचित निर्णय लेंगे और तदानुसार कंट्रोल टेबल में मतदान केन्द्रों के संबंध में अपडेशन करेंगे।

4.16 मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कार्पोरेशन द्वारा मतदान केन्द्रों की कमी अथवा बढ़ोत्री की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए एक डेशबोर्ड तैयार किया जायेगा, जो आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

4.17 कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से किया जायेगा।

--*-*

अध्याय–5

विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ग्राम पंचायत की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना

5.1 इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :–

i. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जेनरेट करना।

ii. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची में सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करना।

iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में विलोपित मतदाताओं को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची के सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड से हटाना।

iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को पंचायत की अंतिम मतदाता सूची में यथासंशोधित करना।

v. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।

vi. फोटोरहित जेनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।

vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।

viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जनजागरूकता हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।

ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

5.2 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन) द्वारा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय को, विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की 02 प्रतियाँ निःशुल्क प्रदाय की जाती है। उक्त प्रतियाँ यथा समय निःशुल्क प्राप्त कर ली जाये। उक्त निःशुल्क प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति पंचायत निर्वाचन के मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाई जायेगी।

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

5.3 वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) **(सेम्पल–2)** प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।

5.4 शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे वार्ड नम्बर, पंचायत क्रमांक एवं 'पंचायत का नाम' की मार्किंग करने के लिए रिक्त ख़ाने बने हुए है।

5.5 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के ख़ाने में वार्ड नम्बर, पंचायत का क्रमांक व नाम दर्ज करेगा।

5.6 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

5.7 शिफ्टिंग सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।

5.8 शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित ख़ाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन

5.9 वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल–3)** प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

5.10 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

5.11 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

5.12 इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।

5.13 **यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी**

और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।

5.14 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

5.15 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।

5.16 विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन

5.17 वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) **(सेम्पल–4)** प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

5.18 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

5.19 विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और ग्राम पंचायत की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्कतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

5.20 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

5.21 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।

5.22 संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

5.23 शिफ्टिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जेनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिफ्टिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

5.24 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5.25 यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरपालिक निगम क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते है। इन क्षेत्रों में भी शिफ्टिंग के विवाद सम्बंधी मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5.26 विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर पालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिफ्ट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिफ्ट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

5.27 कुछ विधानसभा क्षेत्र दो–दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–78 और 82 सीधी–सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–167 आगरमालवा–शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–193 झाबुआ–अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–23 शिवपुरी–दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिफ्टिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना

5.28 शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते है।

5.29 शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट की जायेगी। यदि शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं करेगा।

5.30 शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़रअंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।

5.31 ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाईट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने और उसे वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।

5.32 फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–10(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **परिशिष्ट–अठारह** में निर्धारित प्ररूप में प्रमाणपत्र तैयार कर ERMS में स्केन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.33 प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और जनपद पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जिला पंचायत के साथ साथ जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी शामिल किया जाये। जनपद पंचायत स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में जनपद पंचायत के सभी सदस्यों के साथ साथ ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी बुलाया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

--*-*

अध्याय–6

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

6.1 दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदन पत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) जारी किये है। उक्त सभी आवेदन पत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है, उक्त बुकलेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.2 प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (सेम्पल–5)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम ग्राम पंचायतों की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्रारूप मतदाता सूची के साथ–साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।

6.3 **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व ही करा ली जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।

6.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होने के तत्काल बाद **डुप्लिकेट सूची (सेम्पल–6)** प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :–

i. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है।

ii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है।

iii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की नगरपालिका एवं पंचायत दोनों मतदाता सूची में दर्ज है।

6.5 मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची **(डुप्लिकेट सूची)** के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :–

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित विकासखण्ड के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

6.6 मतदाता सूची का पुनरीक्षण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अतः डुप्लिकेट मतदाताओं के सम्बंध में कार्यवाही करने के लिए रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विविध मद बी–121 में प्रकरण दर्ज किये जाये। प्रकरण की एन्ट्री RCMS (Revenu Case Management System) में भी की जाये। प्रकरण का निराकरण नियत समयसीमा के पूर्व सुनिश्चित किया जाये।

6.7 मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के तहत् निर्धारित समयावधि में प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) द्वारा दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्ररूप ER-1, ER-2, ER-3 में पंचायत के लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्रों पर लिये जायेंगे।

6.8 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा संकलित दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

i. पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को दी जायेगी।

ii. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को दी जाये।

iii. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते है। इस स्थिति में भी प्राधिकृत कर्मचारी को पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

iv. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये। रजिस्टर में प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन पत्र किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये है।

v. प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें।

vi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकरी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे।

vii. "बारकोड" किसी भी स्थिति में वेण्डर द्वारा सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केवल उन्हीं बारकोड का उपयोग करेंगे, जो उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

viii. "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी।

ix. आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकतें है और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है। एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे।

x. आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्केन करना होगा। यदि बारकोड स्केनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा।

xi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्थानीय स्तर पर बारकोड स्केनर क्रय कर सकते है। एक अच्छा बारकोड स्केनर आसानी से 2 से 3 हजार रूपये में स्थानीय बाजारों में उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार मांग करने पर आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को बारकोड स्केनर क्रय करने के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

xii. ERMS में आवेदन पत्रों की एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न विभागों के डाटा एन्ट्री आपरेटर/लिपिकों की ड्यूटी आवश्यक संख्या में लगा सकते है।

xiii. आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे।

xiv. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते है। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते है।

xv. निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है।

xvi. ERMS में दावा आपत्ति के आवेदन पत्रों की प्रविष्टि करने की प्रक्रिया बहुत आसान और यूजरफ्रेन्डली है, तथापि एन्ट्री करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों को भलिभांति प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6.9 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की एन्ट्री और उनके निराकरण की कार्यवाही के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची के मुद्रण आदि सम्बंधी कार्यवाहियाँ पूर्ववत वेण्डर द्वारा की जायेंगी।

6.10 दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् ग्राम पंचायत की अनुपूरक सूची तैयार कर पहली जनवरी की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

6.11 प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जेनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप **परिशिष्ट–उन्नीस** में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्केन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्टिंग

6.12 आम अथवा उप चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगी :–

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति.
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	04 (डबल साईड)	1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय. 2. सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय. 3. सम्बंधित जनपद पंचायत कार्यालय. 4. सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए.

6.13 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वहाँ पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेंगी :–

मतदाता सूची	प्रिन्ट की संख्या	उपयोग
फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची	1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड). 2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ.	1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड). 2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे.

6.14 **प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियाँ किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जाये। उक्त प्रतियाँ डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।**

6.15 मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के सभी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की एक सी.डी. रहेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।

6.16 अन्य रूपये 100/– प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रूपये 2/– प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

6.17 मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :–

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
- सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
- कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
- शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना।
- स्टेंडिग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
- वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समयसीमा में निराकरण कराना।
- प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समयसीमा में प्रिन्टिग सुनिश्चित करना।

6.18 गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

*_*_*_*

अध्याय–7

मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन

7.1 मतदाता सूची के निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये स्थानों (केन्द्रों) का निर्धारण :

ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाने पर उन्हें सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराने और उनके बावत् दावे या आपत्तियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था निम्नांकित स्थानों (केंद्रों) पर की जाए :–

(1) सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय,

(2) सम्बंधित जनपद पंचायत का कार्यालय,

(3) संबंधित ग्राम पंचायत का कार्यालय.

7.2 प्रचार–प्रसार :

उपरोक्त केन्द्रों (स्थानों) के बावत् जहां की मतदाता सूचियाँ सार्वजनिक निरीक्षण के लिये रखी जाना प्रस्तावित हों, व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इस हेतु सूचियों के प्रकाशन के कम से कम 03 दिन पूर्व **परिशिष्ट–तीन** में दिये गये प्ररूप में ऐसे स्थानों पर एक सूचना प्रदर्शित की जाये। सूचना का प्रदर्शन प्रत्येक ग्राम में एक सहज दृश्य स्थान (यथा पाठशाला, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र, कोई सामुदायिक भवन आदि) में भी किया जाये। साथ ही सूचना की एक प्रति सम्बंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्य को भी भेजी जाये। स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों से भी इस सम्बंध में प्रचार कराया जाये।

7.3 प्रशासनिक व्यवस्था :

1. मतदाता सूची का निरीक्षण कराने के लिए जो स्थान निर्धारित किए जाएं प्रत्येक में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। सूची का निरीक्षण कराने तथा दावे आपत्तियां प्राप्त करने के लिये सहायक रजिस्ट्रकरण अधिकारी द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कर लिया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी निम्नांकित हो सकते है :–

i	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में	कार्यालय का कोई कर्मचारी या पटवारी
ii	जनपद पंचायत कार्यालय में	कोई पटवारी या स्थानीय किसी शासकीय कार्यालय का कोई कर्मचारी या स्थानीय विद्यालय का कोई शिक्षक
iii	ग्राम पंचायत कार्यालय में	हल्का पटवारी या सहायक कृषि विस्तार अधिकारी या सहायक विकास विस्तार अधिकारी या स्थानीय शाला का कोई शिक्षक

चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट–चार** में दिये गये प्ररूप में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायें, परन्तु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूची का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये।

जहाँ तक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रश्न है, सामान्यतया प्रत्येक विकासखण्ड के लिए तहसीलदार/अपर तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाये परन्तु जिले में उपलब्ध तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों की संख्या कम होने पर नायब तहसीलदारों को भी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से परामर्श करके तैयार किया जाये। नियुक्ति आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व जारी कर दिये जायें। नियुक्ति आदेश **परिशिष्ट–पाँच** में दिये गये प्ररूप में जारी किये जायें।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन, निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) के लिए नियुक्त किये गये समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को अपने कार्यालय या विकासखण्ड मुख्यालय से बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनकी शंकाओं/पृच्छाओं का पूरी तरह समाधान किया जाए। उन्हें मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा मतदाता सूची की एक–एक प्रति सहित अन्य समस्त सामग्री का प्रदाय भी उसी दिन किया जा सकता है।

3. जिस स्थान (केन्द्र) में प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है, उसका सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं निरीक्षण करके, वहां बैठने और कार्य करने के लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

4. प्रकाशित सूची की सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व निरीक्षण केन्द्र (स्थान) पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का होगा और वह दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि के दौरान वहां पर निरंतर उपस्थित रहेगा।

5. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थानों (केन्द्रों) का निरंतर निरीक्षण किया जाए और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा हो तो उसे तत्परता से दूर किया जाए।

6. दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्थान (केन्द्र) में मतदाता सूची के निरीक्षण हेतु आने वाले लोगों के बैठने के लिये एक बेंच या 2 या 3 कुर्सियों की व्यवस्था की जाए तथा सूची, वहीं एक मेज पर रखी जाए। कमरे के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया जाए। प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे तथा आपत्ति के प्ररूपों (फार्मों) के एक–एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किए जाएं।

7. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपत्तियों से संबंधित कार्य सम्पादन के लिए निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी। अतएव इनकी पहले से व्यवस्था कर ली जाए :–

   (i) प्राधिकृत कर्मचारी (बी.एल.ओ.) बुकलेट।

   (ii) दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण से सम्बंधित रजिस्टर।

   (iii) बाल प्वाइन्ट पेन।

   (iv) स्टाम्प पैड।

8. प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी उस सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संबद्ध रहेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की किसी केन्द्र (स्थान) में उसे नियुक्त किया गया है और उसी के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

7.4 मतदाता सूची का प्रकाशन :

उस तारीख को, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो, मतदाता सूची आम लोगों के निरीक्षण के लिये प्रकाशित कर दी जाए। इस हेतु मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–10(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा निम्नांकित कार्यालयों में से प्रत्येक के नोटिस बोर्ड पर **परिशिष्ट–छः** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए :–

1. कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार),
2. कार्यालय, जनपद पंचायत,
3. कार्यालय, ग्राम पंचायत.

--*-*

अध्याय–8

दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना

प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

8.1 दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदनपत्रों के प्ररूप में परिवर्तन कर नये प्ररूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन), ER-3 (संशोधन) और ER-4 (अपील) जारी किये है। **(परिशिष्ट–सात से परिशिष्ट–नौ एवं परिशिष्ट–सत्रह)**

8.2 प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करने के तत्काल उपरांत वेण्डर द्वारा **जाँच सूची (सेम्पल–5)** प्रदाय की जायेगी। **जाँच सूची** ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम ग्राम पंचायत की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल है, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी, जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दावे आपत्ति प्राप्त करते समय प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची के साथ–साथ यह सूची भी प्रकाशित की जायेगी, ताकि इन नामों के सम्बंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर उपलब्ध हो सके।

8.3 **जाँच सूची** में शामिल मतदाताओं के सम्बंध में गहन स्थानीय जाँच प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की जाये और जाँच के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जायें। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के सम्बंध में जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।

8.4 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वेण्डर से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट होने के तत्काल बाद **डुप्लिकेट सूची (सेम्पल–6)** प्राप्त कर लेना चाहिए। **डुप्लिकेट सूची** में ऐसे मतदाताओं की जानकारी होगी जिनके नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है। यह सूची 3 भागों में होगी :–

i. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या अधिक स्थानों पर दर्ज है **{सेम्पल–6(1)}**।

ii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है **{सेम्पल–6(2)}**।

iii. डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले की ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है **{सेम्पल–6(3)}**।

8.5 मतदाता सूची में दो स्थानों पर मतदाताओं के नाम दर्ज होने के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ–52–4/2015/तीन/नपा/745, दिनांक 19.10.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के लिए चयनित वेण्डर से प्राप्त दोहरे नामों वाली सूची **(डुप्लिकेट सूची)** के सम्बंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार

दोहरे नामों के विलोपन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। डुप्लिकेट सूची में दर्ज मतदाताओं के सम्बंध में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी :–

क्रमांक	विवरण	कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी
1.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम एक ही विकासखण्ड में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर दर्ज है।	सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
2.	डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जिनके नाम जिले के 2 या 2 से अधिक विकासखण्डों में दर्ज है।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
3.	डुप्लिकेट मतदाता, जिनके नाम जिले के ही नगरीय निकाय एवं पंचायत दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है।	1. सम्बंधित विकासखण्ड के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की जायेगी। 2. यदि मतदाता का नाम पंचायत की मतदाता सूची में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना नगरीय निकाय के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जायेगी।

8.6 डुप्लिकेट सूची के सम्बंध में की जाने वाली कार्यवाही में प्राधिकृत कर्मचारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सहयोग करेगा।

दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही

8.7 मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के तहत् निर्धारित समयावधि में प्राधिकृत कर्मचारी (BLO) द्वारा दावे आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्ररूप ER-1, ER-2, ER-3 में ग्राम पंचायतों में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्रों पर लिये जायेंगे।

8.8 मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आपको केन्द्र में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए, इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूची का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए, तदुपरान्त यदि वह सूची में अपना या अपने परिवार के, किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिए पात्र है), जोड़े जाने के लिए या सूची में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिए या सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम को हटाए जाने के लिए आवेदन–पत्र (दावा या आपत्ति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्ररुप) तत्परता से उपलब्ध कराया जाए, दावे या आपत्तियाँ प्रत्येक कार्यकारी दिन, प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने के लिए नियत आख़िरी तारीख को केवल 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति दावा या आपत्ति, आपको प्रस्तुत करने के बजाय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो, वह ऐसा कर सकता है।

8.9 सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन–पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबन्धित आवेदन–पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए, यदि कोई अन्य व्यक्ति भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबन्धित व्यक्तियों से अलग–अलग आवेदन–पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग–अलग पूछताछ की जानी होगी।

8.10 दावे तथा आपत्तियाँ निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं :–

(क) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना,

(ख) नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना, तथा

(ग) मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है।

8.11 दावे और आपत्तियां आयोग द्वारा निर्धारित प्ररुप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वे अपने मत से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक नहीं हैं। वे निर्धारित प्ररुप की फोटोकापी में, या टाईप किये हुए या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते हैं।

8.12 आयोग द्वारा विहित प्ररुप निम्नांकित है :–

(1) **परिवर्धन दावा–(प्ररुप–ER-1)** – दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररुप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) **विलोपन आपत्ति (प्ररूप–ER-2)** – ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम संबन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो संबन्धित ग्राम पंचायत का मतदाता है।

(3) **संशोधन आपत्ति (प्ररूप–ER-3)** – यह आपत्ति मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे (जैसे– मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के संबन्ध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति हो सकती है। ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबन्धित है, इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

8.13 प्राधिकृत कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररुप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मांगे तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें।

8.14 प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक रूप से इस हेतु निर्देशित किया जाना चाहिये कि, जो दावे या आपत्तियाँ उनके समक्ष प्रस्तुत की जाये वे सही प्ररूप में हो सभी प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से भरी गई हों, कोई कमी हो तो उसे प्रस्तुति के समय ही आवेदनकर्ता से ठीक करा लें। विशेष कर यह देख लें कि आवेदक का पता (गृह क्रमांक, ग्राम इत्यादि) ठीक से लिखा है, अपूर्ण तथा अस्पष्ट प्रविष्टियों के कारण प्रारंभिक जाँच में कठिनाई हो सकती है।

8.15 कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त होने पर दावेदार या आपत्तिकर्ता को "आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना" हाथों–हाथ दी जाए। मामले में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए वह तारीख डाली जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो। उदाहरणार्थ यदि दावा या आपत्ति आवेदन–पत्र 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिए पेशी तारीख 09 की डाली जाए। साथ ही दावेदार या आपत्तिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए।

8.16 प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररुप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए, पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाए :–

i. 01 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज़ (प्रमाणपत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज़ या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे कि 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है ?

ii. वह सामान्यतया कहां रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहाँ है और वह क्या करता है ? उसके परिवार में और कौन–कौन से लोग हैं तथा क्या उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं ?

iii. जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहाँ हुई ? क्या ग्राम की मृत्यु पंजी में उसकी मृत्यु दर्ज है ?

iv. जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में बने रहने पर इस आधार पर आपत्ति (तथा नाम हटाए जाने के लिए मांग) की गई है, कि ऐसा व्यक्ति गांव का मामूलीतौर पर निवासी न होकर किसी और गांव में रहता है या नौकरी या अन्य व्यवसाय के सिलसिले में अन्यत्र चला गया है या किसी महिला के मामले में वह विवाह के पश्चात् ससुराल चली गई या ऐसा व्यक्ति किसी अन्य कारण से अपात्र या निरर्ह है, वह कब और कहां चला गया है या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है ?

8.17 उपरोक्त पूछताछ के पश्चात् ही दावे या आपत्ति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर प्राधिकृत कर्मचारी को अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि उसकी राय में दावा या आपत्ति स्वीकार करने योग्य है या नहीं ?

8.18 पूछताछ के समय यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता की ओर से कोई कागज़ पत्र प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें भी उसके प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाए, यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिए आगे और पूछताछ कर सकता है या अलग से और भी जाँच कराकर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है।

8.19 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा, प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम को निर्धारित प्ररूप में तीन प्रतियों में तैयार किया जाए। इस विवरण की दो प्रति, प्राप्त दावे और आपत्ति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दी जाए, जबकि तीसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् केन्द्र के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10:00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिए लगा दी जाए। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए। इसके पीछे मंशा यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो ग्राम के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिए आपको अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण

अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सकें। यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए। दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के संबंध में उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या जैसे भी निर्देश दिये हों, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए।

8.20 दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3:00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार न किया जाए। उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम तक केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपत्ति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतु तैयार कर ली जाए।

8.21 कार्य पूर्ण हो जाने पर, आख़िरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूची तथा बचे हुए प्ररुप (फार्म) सादे कागज़ पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिये जाएं।

8.22 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) नियुक्त किया गया है। राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) द्वारा प्रत्येक जिले में वेण्डर नियुक्त किया गया है। वेण्डर से डाटा एण्ट्री के उपरान्त चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी जाँच आपके द्वारा की जाएगी। नियत समय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात् फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कोई त्रुटि नहीं हो यह आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

8.23 प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा संकलित दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

i. पंचायत में स्थापित दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे और आवेदन पत्र प्राप्त करने की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को दी जायेगी।

ii. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यथासम्भव प्रतिदिन दावा आपत्ति सम्बंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास "दैनिक विवरण रिपोर्ट" के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अनिवार्य रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को दी जाये।

iii. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन पत्रों को जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को अपने कार्यालय में प्रतिदिन बुलाने की बजाये, दावा आपत्ति केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र संकलित करने की व्यवस्था भी कर सकते है। इस स्थिति में भी प्राधिकृत कर्मचारी को पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

iv. प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किये गये आवेदन पत्रों की दिनांकवार जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाये। रजिस्टर में प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायें, ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि प्राधिकृत कर्मचारी से आवेदन पत्र किस कर्मचारी द्वारा प्राप्त किये गये है।

v. प्राधिकृत कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बारकोड लगाये जायें।

vi. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को "बारकोड" उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराये गये "बारकोड" का हिसाब रखेंगे।

vii. "बारकोड" किसी भी स्थिति में वेण्डर द्वारा सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केवल उन्हीं बारकोड का उपयोग करेंगे, जो उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

viii. "बारकोड" लगाने के बाद आवेदन पत्रों की एन्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS में कराई जायेगी।

ix. आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ERMS में एक से अधिक एकाउन्ट भी बना सकतें है और ऐसे हर एकाउन्ट से आवेदन पत्रों की ERMS में एन्ट्री की जा सकती है। एन्ट्री करने के लिए कितने एकाउन्ट बनाना है, यह निर्णय आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं लेंगे।

x. आवेदन पत्रों की एन्ट्री करते समय ERMS में बारकोड को स्केन करना होगा। यदि बारकोड स्केनर उपलब्ध नहीं है तो बारकोड में अंकित नम्बर की प्रविष्टि करना भी पर्याप्त होगा।

xi. आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि होने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निराकरण की प्रविष्टि डिजिटल हस्ताक्षर से दर्ज करेंगे।

xii. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक बार में एक से अधिक (Multiple) आवेदन पत्रों का निराकरण ERMS में डिजिटल हस्ताक्षर से कर सकते है। इसके लिए उन्हें आवेदन पत्रों को एक एक कर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट किये गये सभी आवेदन पत्र एक साथ एक डिजिटल हस्ताक्षर से निराकृत किये जा सकते है।

xiii. निराकृत आवेदन पत्रों की चैकलिस्ट निकालकर जाँच की जा सकती है और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को सुधारा जा सकता है।

8.24 दावे आपत्तियों और डुप्लिकेट नाम वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् ग्राम पंचायत की अनुपूरक सूची तैयार कर पहली जनवरी की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।

8.25 प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जेनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारी निर्दिष्ट समयावधि में विहित स्थानों पर प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे और तत्सम्बंधी प्रमाणपत्र **परिशिष्ट–उन्नीस** में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

8.26 अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्केन कर वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

8.27 मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के सभी विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की एक सी.डी. रहेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।

8.28 अन्य रूपये 100/– प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रूपये 2/– प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

--*-*

अध्याय–9

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना

9.1 जिला निर्वाचन अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बहुधा इस आशय की जानकारी/शिकायतें प्राप्त होती हैं कि सूची में सम्मिलित अमुक–अमुक व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह :–

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर चला गया है, या

(2) सम्बंधित ग्राम पंचायत के साथ–साथ किसी अन्य ग्राम पंचायत या किसी नगरीय निकाय की मतदाता सूची में भी रजिस्ट्रीकृत है, या

(3) मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये अन्यथा हकदार नहीं है।

कभी–कभी किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दो–दो स्थानों पर दर्ज होने की शिकायतें भी मिलती हैं। लेकिन उपरोक्त प्रकार की शिकायतें करने वाले लोग स्वयं आगे आकर, मतदाता सूची के संशोधन के दौरान (अर्थात् प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात् दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समयावधि के दौरान) विहित प्ररूप में आपत्ति नहीं करते। ऐसी शिकायतें यदि जिला निर्वाचन अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त हों तो उन्हें तत्परता से सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भेज दिया जाना चाहिए। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार के नामों को स्वप्रेरणा से हटाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। प्राप्त शिकायत या जानकारी प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने की आश्वस्ति हो जाने पर, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसका अभिज्ञान लेते हुए स्वप्रेरणा से एक प्रकरण पंजीकृत किया जाये और सम्बंधित व्यक्ति को अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची में से हटाया जाना प्रस्तावित है उसे, **परिशिष्ट–दस** में दिये गये प्ररूप में उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) नोटिस भेजा जाये। मामले में सुनवाई की तारीख, नोटिस जारी होने के 03 दिन बाद की रखी जाये। सम्बंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या मौखिक या लिखित साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसके नाम को मतदाता सूची से हटाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाये।

9.2 **यह भी संभव है कि मतदाता सूची तैयार करते समय असावधानी या गलती से :**

(i) कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम छूट जाएं जिनके नाम विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में अथवा आयोग की पिछली मतदाता सूची में सम्मिलित थे, या

(ii) किसी मतदाता अथवा कुछ मतदाताओं की प्रविष्टियां उस वार्ड में दर्ज होने के बजाय, जिसके वे मामूली तौर पर निवासी हैं, किसी अन्य वार्ड में दर्ज हो जाएं।

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जानकारी में यदि ऐसी कोई गलती आए तो उसे चाहिए कि वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण/संशोधन के दौरान ही उसे ठीक करने के लिये उपचारी कार्यवाही करें। ऐसे मामलों में उसके द्वारा स्वप्रेरणा से छूटे हुए मतदाताओं के नामों को सूची में सम्मिलित करने अथवा गलत स्थान पर अंकित प्रविष्टियां सही स्थान पर अंतरित करने हेतु प्रकरण पंजीकृत करके, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित की जाए। सूचना **परिशिष्ट–ग्यारह** में जारी की जाए

और उसकी एक प्रति सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा एक–एक प्रति निम्नांकित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए :–

(1) सम्बंधित जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत।

(2) वह कार्यालय जहां संबंधित वार्ड की मतदाता सूची सार्वजनिक निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये रखी गई है।

ऐसे मामलों में सुनवाई की तारीख, सूचना के प्रकाशन के 03 दिन बाद की निर्धारित की जाए और निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या किसी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकरण में समुचित निर्णय किया जाए।

9.3 (1) बहुधा यह देखा गया है कि मतदाता सूची में ऐसे अनेक व्यक्तियों के नाम बने रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतदाता सूची से मृतक का नाम हटाए जाने के संबंध में न तो उसके घरवालों द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है और न ही संबंधित वार्ड के किसी मतदाता द्वारा इस संबंध में प्रारंभिक सूची के प्रकाशनोपरान्त कोई आपत्ति की जाती है, अतएव इस संबंध में समुचित कार्यवाही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाना अपेक्षित है।

(2) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का पंजीकरण आवश्यक है। जिला स्तर पर, जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य के लिए जिला योजना अधिकारी को पदेन जिला रजिस्ट्रार घोषित किया गया है। पंचायतों की सीमाओं के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को रजिस्ट्रार तथा ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी को उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। अतः मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मृतकों के सम्बंध में प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस हेतु सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी को एक पत्र भेजकर उससे विगत कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच पंजीकृत ऐसे मृतकों की जानकारी प्राप्त की जाए जिनकी आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष या उससे अधिक थी। यह जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में मंगाई जाए :–

प्रपत्र

विषय :– दिनांक 1 जनवरी,.....से 31 दिसबंर.....के दौरान 18 वर्ष से अधिक की आयु के मृतकों की सूची।

क्रमांक	मृतक का नाम	पिता/पति का नाम	मृत्यु के समय आयु	मृतक के निवास स्थान का पता	
				ग्राम	मकान नंबर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/
पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी

नाम .....

प्राप्त जानकारी का पुनः सत्यापन आवश्यक नहीं है क्योंकि वह कानून के प्रावधानों के अंतर्गत संधारित जानकारी है। इसके आधार पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल मतदाता सूची में सम्मिलित मृतकों के नाम (लाल स्याही से) काट दिये जायें और संबंधित ग्राम पंचायत की अनुपूरक मतदाता सूची में, विलोपन शीर्षक के अंतर्गत, उनका उल्लेख किया जाए। यदि, कदाचित मतदाता सूची में ऐसे किसी मृतक का नाम पहले से ही शामिल न हो तो उसके विलोपन का प्रश्न नहीं उठेगा।

-*-*-

अध्याय–10

दावों और आपत्तियों की जाँच और उनका निपटारा

10.1 सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रतिदिन प्राधिकृत कर्मचारियों से, दावे और आपत्तियों के प्ररूपों के साथ **परिशिष्ट–बारह** में तैयार किये गये "दैनिक विवरण" की दो प्रतियां होंगी. "दैनिक वितरण" की एक प्रति सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। यह प्रति, मामले में सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख तक, नोटिस बोर्ड पर बराबर लगाकर रखी जाए।

दैनिक विवरण की दूसरी प्रति का उपयोग दावे और आपत्तियों का "प्रकरण रजिस्टर" संधारित करने के लिये किया जाए। यह रजिस्टर **परिशिष्ट–तेरह** में संधारित किया जाए।

10.2 **प्ररूप–ER-2** में प्राप्त आपत्तियों से संबंधित मामलों में, अर्थात् जिनमें मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई हो, आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अतएव ऐसे मामलों में आक्षेपित व्यक्ति को (अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना प्रस्तावित है) सुनवाई के लिये उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) **परिशिष्ट–चौदह** में दिये गये प्ररूप में, तुरंत सूचना भेजी जाए। सूचना की 'तामील–रसीद' प्रकरण से संबंधित अभिलेख में रखी जाए। इस सूचना में सुनवाई के लिये वही तारीख अंकित की जाए जो कि आपत्तिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने **प्ररूप–ER-2** में उसकी आपत्ति प्राप्त करते समय संसूचित की हो।

10.3 सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपत्तियों पर अथवा स्वप्रेरणा से पंजीकृत प्रकरणों में सुनवाई, उस तारीख को अवश्य करनी चाहिए जो दावेदार या आपत्तिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है। निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्यक जांच कर लेने से, न केवल पक्षकारों को सुविधा होती है वरन कार्य नियमित रूप से निपटता जाता है और आख़री दिनों के लिये काम का बहुत अधिक बोझ इकट्ठा नहीं होने पाता। **सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक अवश्य निपटा दिए जाने चाहिए।**

10.4 रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य का अधिकांश भाग मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिये दावों से संबंधित रहता है। ऐसे दावों में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार उस वर्ष की 01 जनवरी को, जिस वर्ष में मतदाता सूची पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः संबंधित नगर का मामूली तौर पर (अर्थात् सामान्यतः) निवासी है।

10.5 जहां तक आयु का प्रश्न है, उसके लिये जन्मतिथि का कोई विश्वसनीय आधार (जैसे कि परीक्षा प्रमाण–पत्र, पाठशाला पंजी, या नगरपालिका के अभिलेख में लिखित जन्मतिथि आदि) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है, अन्यथा कोई आनुषंगी साक्ष्य जैसे कि भाई–बहनों की आयु ज्ञात की जानी चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय करना चाहिए।

जहाँ तक मामूली निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास करने के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं।

मामूली तौर से निवासी (सामान्यतः निवासी) का अर्थ :

मामूली तौर पर निवास स्थान (सामान्यतः निवास के स्थान) से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतः सोने के लिये करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो, वह भोजन या काम, बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है। कुछ समय के लिये अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्य निवास को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक कि वह व्यक्ति वहाँ लौटने में समर्थ है और वहाँ लौटना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि सांसद और विधायक, भले ही (सांसद या विधायक के रूप में) अपने कार्यकलापों के सिलसिले में अपने रहने के सामान्य स्थान से बाहर रहते हों फिर भी वे अपने नगर या ग्राम में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के हक़दार होंगे। यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिये अपने ग्राम या नगर से बाहर चला गया हो उसे उस स्थान से बाहर गया हुआ ही माना जाएगा। संबंधित ग्राम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्ज़े के किसी भवन या अन्य सम्पत्ति से उसे सामान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी।

जेलों, अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन नगरों/वार्डों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते जिनमें ऐसी संस्थाएं स्थित हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थायी अवधि के लिये ही रह रहे होते हैं। यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में भी लागू होती हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रम या निकेतन) में लंबे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्य निवास के स्थान पर आते–जाते रहने का सिलसिला लंबे अंतराल से बंद हो गया हो, तो उसे उस स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है, जहां ऐसी संस्था स्थित हो। सामान्य सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, भले ही वह वहां से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो, परंतु उसे ऐसे स्थान पर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो।

10.6 संदेहास्पद मामलों में दावेदार/आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार के निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछताछ की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र से बहुत अधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हों तो उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिये मौके पर ही संक्षिप्त जांच करना बहुत सहायक होगा।

10.7 दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लेखबद्ध किया जाए तथा दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा मांग की जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

10.7 सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निपटाए गए समस्त दावों और आपत्तियों का विवरण और उनमें अपने निर्णयों का सार, "प्रकरण रजिस्टर" **(परिशिष्ट–तेरह)** में दर्ज किया जाए। "प्रकरण रजिस्टर" की प्रत्येक प्रविष्टि के समक्ष सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाएं और यदि किसी प्रविष्टि में कोई काट–कूट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर किए जाएं। रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ में आख़िरी प्रविष्टि के नीचे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किए जाएं और अपनी मोहर भी लगाई जाए।

*_*_*_*

अध्याय–11

अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन

11.1 सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा "प्रकरण रजिस्टर" में की गई प्रविष्टियों के आधार पर "अनुपूरक मतदाता सूची" तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए। अनुपूरक सूची **परिशिष्ट–पन्द्रह** में दिये गये प्ररूप में तैयार की जाए। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण इसे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराया जाए। इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए जो कि पूर्व में मतदाता सूचियों का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये नियुक्त किये गये थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक अलग अनुपूरक सूची बनाई जाए।

'परिवर्धन' शीर्ष के अंतर्गत जोड़े गये मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नंबर) मूल सूची की क्रम संख्या के आगे जारी रखे जायें। उदाहरणार्थ यदि मूल सूची के सुसंगत भाग में अंतिम मतदाता की क्रम संख्या 950 हो तो परिवर्धन सूची, क्रमांक 951 से प्रारंभ की जाए और उसे क्रमशः आगे बढ़ाया जाए।

'संशोधन' शीर्ष के अंतर्गत मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के नाम, गृह क्रमांक, आयु, लिंग, मतदाता की फोटो आदि प्रविष्टियों की अशुद्धियों को दूर करते हुए उन्हें संशोधित रूप में दर्शाया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम संशोधन शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किये जाएं उनसे संबंधित प्रविष्टियों को मूल सूची में लाल स्याही से सुधार दिया जाए।

'विलोपन' शीर्षक के अंतर्गत ऐसे मतदाताओं के नाम अंकित किये जाएंगे जो किसी भी कारण से संबंधित ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता बने रहने के पात्र नहीं है। जिन मतदाताओं के नाम विलोपन सूची में शामिल किये जाएं उनके नाम मूल सूची में, लाल स्याही से, काट दिये जाएं।

11.2 सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के समस्त ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूचियां उपरोक्तानुसार निर्धारित प्ररूप में तैयार कर लिये जाने के पश्चात् उन्हें क्रमवार व्यवस्थित किया जाए और उन्हें तहसीलदार को सौंप दिया जाए। अन्य सारे कागजपत्रों (जैसे कि प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उनमें पारित आदेश, प्रकरण रजिस्टर) के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिया जाए। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी, अपने पास की अनुपूरक सूचियों और कागजपत्रों को भी ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाए और तदुपरान्त समस्त अनुपूरक सूचियों को समेकित करके उनकी एक फोटोकापी कराई जाए। इस प्रकार तैयार किए गए दो सेट्स में से एक सेट अपने पास रखते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दूसरा सेट राज्य स्तरीय एजेन्सी (SLA) को उपलब्ध करायी जायेगी। वेण्डर से डाटा एन्ट्री के उपरांत चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी सूक्ष्मता से जांच कराने के उपरांत, उसे वेण्डर को उपलब्ध कराया जाकर त्रुटियों का सुधार कराया जाएगा।

11.3 **अनुपूरक सूचियों का मुद्रण**–जिला स्तर पर, अनुपूरक सूचियों की, ग्राम पंचायतवार उतनी ही प्रतियां मुद्रित कराई जाएं जितनी कि मूल मतदाता सूची की कराई गई हों। मुद्रण के दौरान "प्रूफ रीडिंग" का दायित्व पूर्ववत् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा, जो कि यह कार्य या तो स्वयं या किसी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की व्यक्तिगत निगरानी में सम्पन्न कराएगा। अनुपूरक सूची की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर उन्हें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन्हें ग्राम पंचायतवार मूल सूचियों के साथ संलग्न किया जाये तथा

प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमांक डाला जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत की अनुपूरक सूची के अंत में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर लगाकर अभिप्रमाणित किया जाए।

यदि किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन न भी किया गया हो तब भी उसके अंत में एक निरंक प्रविष्टि वाली अनुपूरक सूची जोड़ी जाए और उसे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए अर्थात् उसमें पृष्ठ क्रमांक दर्ज करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

11.4 **मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन –**

(i) उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई सूची का प्रकाशन आवश्यक है। इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, **परिशिष्ट–सोलह** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए। उक्त कार्यवाही के साथ–साथ, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रत्येक विकासखण्ड से सम्बंधित "सेट" (Set) के **मुख्य पृष्ठ** के अंत में अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर के अंतर्गत निम्नानुसार एक प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जाए :–

"प्रमाणित किया जाता है कि विकासखण्ड .....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिये तारीख़ 01 जनवरी ..... के संदर्भ में तैयार की गई मतदाता सूची की यह अंतिम रूप से प्रकाशित सूची है।

तारीख.....

स्थान.....

मोहर

.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के विकासखण्डवार 02 सेट्स जिला निर्वाचन अधिकारी को (भावी उपयोग और संदर्भ हेतु) भेज दिये जाएं और शेष सेट्स निर्वाचन के समय स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएं।

(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् ऐसी लिपिकीय, तकनीकी एवं मुद्रण संबंधी त्रुटि, जो सहज दृश्यमान हो, नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख़ और समय के पूर्व तक ठीक की जा सकती है। इस स्थिति के सिवाय निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक, मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

*_*_*_*

अध्याय–12

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

12.1 मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–12(5) के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके आदेश के पांच दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। ऐसी अपील **प्ररूप ER-4** में दिये गये विवादित आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। इस प्ररूप की प्रतियां, रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कार्यालय में पहले से ही, पर्याप्त संख्या में आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कराके रखी जाएं और अपील करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, मांग करने पर, एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

12.2 अपील प्रस्तुत होते ही अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई के लिये तारीख़ निर्धारित की जाए और तत्काल संबंधित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मूल अभिलेख तलब किया जाए। **संबंधित अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह संगत अभिलेख उसी दिन, अपील प्राधिकारी के पास पहुंचाए।** अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि अपील प्राधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।

12.3 अपील प्राधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन–पत्र दाखिल किये जाने का कार्य प्रारंभ होने के पहले ही उसके पास विचाराधीन सभी अपील–प्रकरणों का निराकरण हो जाए।

अपील प्राधिकारी के आदेश पर मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही

12.4 अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश की एक प्रति के साथ (मूल अभिलेख) तुरन्त रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दिया जाये। अपील मान्य किये जाने की स्थिति में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम "प्रकरण रजिस्टर" **(परिशिष्ट–तेरह)** के अंत में, अपने हाथ से आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसके नीचे, अपील प्रकरण का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर किये जायें। तत्पश्चात् सुसंगत अनुपूरक मतदाता सूची **(परिशिष्ट–पन्द्रह)** के अंत में आवश्यक प्रविष्टि की जाये और उसे अभिप्रमाणित करते हुए उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

अपील प्राधिकारी के केवल ऐसे आदेश के अंतर्गत मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जाए, जो निर्वाचन नियम–28 के अंतर्गत जारी की गई सूचना में नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम तारीख़ तथा समय के पूर्व प्राप्त हो जाए। उसके बाद प्राप्त किसी आदेश पर, तब तक मतदाता सूची में संशोधन न किया जाए जब तक कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए अर्थात् निर्वाचन का परिणाम घोषित न हो जाए।

--*-*

अध्याय–13

विविध

13.1 मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कागज–पत्रों की अभिरक्षा :–

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियां और उन पर रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील अधिकारी के आदेश, स्वप्रेरणा से प्रारंभिक मतदाता सूची में किये गये संशोधनों से संबंधित कागज़–पत्र तथा "प्रकरण रजिस्टर" आदि कागज़–पत्र मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरन्त बाद ठीक से व्यवस्थित करके जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाने के लिये भेज दिये जाएं। ऐसे कागज़–पत्र तब तक संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूची में आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

13.2 अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करना :–

(i) कोई भी व्यक्ति दो रूपए की फीस का नगद भुगतान करके, जिसके लिये उसे रसीद दी जाएगी, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा प्रत्येक तहसील में तहसीलदार के कक्ष में और जिला स्तर पर उप–जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में उपलब्ध कराई जाए।

(ii) कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची के किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हक़दार है। प्रमाणित प्रति उक्त कार्यालयों से उतनी ही फीस का नगद भुगतान करने पर तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रदाय की जाए, जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के प्रदाय के लिये निर्धारित है।

13.3 मतदाता सूचियों की बिक्री :–

बिक्री के प्रयोजन के लिये ग्राम पंचायत की पूरी मतदाता सूची को एक **''इकाई (यूनिट)''** माना जाये और उसे छोटे भागों (अर्थात् वार्डवार टुकड़ों) में नहीं बेचा जाए। विक्रय, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत, तत्समय प्रभावशील दर पर किया जाए और विक्रय से प्राप्त राशि (कोषालय में) निम्नांकित मद में जमा की जाए :–

मद क्रमांक 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–02–चुनाव–800–अन्य प्राप्तियां–राज्य चुनाव आयोग की प्राप्तियाँ।

*_*_*_*

मतदाता सूची तैयार करने से सम्बंधित मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का उद्धरण

ग्राम के सम्बंध में अधिसूचना।

धारा–3. राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा।

ग्राम की मतदाता सूची।

धारा–4. धारा–3 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण।

धारा–5.(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस ग्राम से सम्बंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हक़दार होगा।

परन्तु :–

(क) कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हक़दार नहीं होगा;

(ख) कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हक़दार नहीं होगा यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से सम्बंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

स्पष्टीकरण :– (1) अभिव्यक्ति "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ वही होगा जो उसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का सं.43) की धारा–20 में दिया गया है, किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि उसमें किया गया "निर्वाचन क्षेत्र" के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जायेगा कि वह "ग्राम" के प्रति निर्देश है।"

(2) कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित है।

2. उपरोक्त धाराओं में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(1) विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये निरर्हता, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें तथा "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–16 से 20 में वर्णित है। इन धाराओं के उद्धरण इस परिशिष्ट के साथ जोड़े गए अनुलग्नक में दिये गए हैं।

(2) "स्थानीय प्राधिकारी" को अधिनियम की धारा–2 (दस) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

"स्थानीय प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक–3 सन् 1958) में दिया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने से सम्बंधित धारा–16 से 20 का उद्धरण

धारा–16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं – (1) यदि कोई व्यक्ति :–

(क) भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के सम्बंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से सम्बंधित किसी विधि उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है :

परन्तु किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा(1) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः स्थापित कर दिया जायेगा।

धारा–17. एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा – एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हक़दार न होगा।

धारा–18. किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा – किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हक़दार न होगा।

धारा–19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें – इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो –

(क) अर्हता की तारीख़ को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हक़दार होगा।

धारा–20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ – (1) किसी व्यक्ति की बाबत् केवल इस कारण कि वह निर्वाचन क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्ज़ा रखता है यह न समझा जायेगा कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1क) अपने मामूली निवास–स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत् केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा, कि वह वहाँ का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(1ख) संसद का या किसी राज्य के विधान–मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत

है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बंध में उस निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जायेगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्प से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जायेगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी है।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जायेगा कि वह किसी तारीख़ को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख़ को मामूली तौर से निवासी होता।

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू हैं उसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह किसी तारीख़ को उस निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख़ को मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, निहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण न किए होता, जैसा उपधारा (4) निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख़ को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के आभाव में यह स्वीकार किया जायेगा कि वह शुद्ध है।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहाँ का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाये, प्रति निर्देश से अवधारित किया जायेगा।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता" से –

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबन्ध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए है, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।

*_*_*_*

मतदाता सूची तैयार करने से सम्बंधित "मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995'' का उद्धरण

अध्याय–4

मतदाता सूची

9. **मतदाता सूची का तैयार किया जाना –** (1) आयोग, धारा–5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्ररूप–1 में तैयार करवाएगा।

(2) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में पंचायतों के लिये मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा उसकी सहायता करने के लिये आवश्यकतानुसार एक या अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करेगा।

(3) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्ही भी कृत्यों को करने के लिए सक्षम होगा।

**"(4) कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति जो मतदाता सूची में की किसी प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने या उसमें नाम सम्मिलित करने या उसमें से नाम अपवर्जित करने के लिए नियुक्त तथा प्राधिकृत किया गया है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन समानुदेशित किये गये कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय तब तक अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो।"

*10. **दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये मतदाता सूची का प्रकाशन –** (1) जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए दावे तथा उसमें किसी प्रविष्टि पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्ररूप में, जैसे कि आयोग द्वारा विहित किया जाए, सार्वजनिक सूचना देगा तथा सूचना को –

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

(ख) सम्बंधित ग्राम पंचायत, और

(ग) वह जनपद पंचायत, जिसके भीतर ग्राम पंचायत स्थित है,

के कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित कराएगा।

---

* म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–83 दिनांक 17 फरवरी, 1999

** म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–22 दिनांक 11 जनवरी, 2016

(2) उप नियम (1) के अधीन सूचना में वह कालावधि, जिसके दौरान तथा वे कार्यालय, जहाँ पर आपत्तियां या दावे दाखिल किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) उप नियम (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के साथ ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची की एक प्रति जनता द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए, सूचना के प्रकाशन की तारीख़ से कम से कम पाँच दिन की कालावधि के लिए अपने कार्यालय तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध कराएगा।

(4) मतदाता सूची की प्रति किसी भी व्यक्ति को ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसा कि आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, प्रदाय की जाएगी।

11. दावे तथा आपत्तियाँ – (1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट हो और जिसे स्वयं अपने नाम या किसी भी व्यक्ति के नाम को उस सूची में सम्मिलित कर लिये जाने पर आपत्ति हो, नियम–10 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन को अधिक से अधिक 03 बजे अपरान्ह तक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्राप्त होने वाला कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक दावा या आपत्ति ऐसे प्ररूप में जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए प्रस्तुत की जायेगी और या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त नामांकित किया जाए, पेश की जायेगी।

(3) कोई दावा या आपत्ति, ऐसे दस्तावेजों सहित होंगे, जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता निर्भर करता है।

12. दावों तथा आपत्तियों का निपटारा – (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावों या आपत्तियों के संबंध में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा और ऐसे विनिश्चय की एक प्रति मांग की जाने पर, आपत्तिकर्ता को निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करायेगा।

(2) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा।

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अपील में, यदि कोई हो, विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में रखी जायेगी और उसकी एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के पांच दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के मान्य

किए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए संशोधित करे। अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन, नियम–28 के अधीन जारी की गई सूचना में नामनिर्देशन के लिये नियत की गई अन्तिम तारीख और समय के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

13. **प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना** – जनता के प्रत्येक सदस्य को दो रूपये फीस का भुगतान करने पर नियम–12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और किसी आवेदक को उसकी प्रमाणित प्रतियां, उतनी फीस का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेंगी, जितनी राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिये विहित की गई है।

14. **मतदाता सूची की अवधि तथा उसका पुनरीक्षण** – (1) नियम–12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि उपनियम (2) या उप नियम (3) के अनुसार उसका पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाए।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची, उस वर्ष की, जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रति निर्देश से –

(एक) पंचायतों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी पंचायत में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उपनिर्वाचन के पूर्व,

सतत् पुनरीक्षण के दायित्वाधीन होगी।

(3) उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उप निर्वाचन के पूर्व ऐसी सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा, यदि ऐसा उप निर्वाचन उस कैलेण्डर वर्ष के दौरान होता है, जिसकी जनवरी के प्रथम दिन को सूची मूलतः तैयार की गई है :

परन्तु आयोग, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा पर्याप्त समझे जाएं, उप निर्वाचन करवाए जाने के पूर्व ऐसी सूची के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा।

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम–12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की विधिमान्यता या उसका निरन्तर प्रवर्तन में रहना, उपनियम (2) के अधीन ऐसी सूची का पुनरीक्षण नहीं होने से या उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिये जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा।

15. **"मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना"** – नियम–15(क) के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए नियम–12 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार, समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा :

परन्तु किसी मतदाता से सम्बंधित अभिलेख को देखते हुए ही दृष्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम–28 के अधीन नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख़ और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी" :

*"परन्तु यह और भी कि इस नियम के अधीन किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।"

*** म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–22 दिनांक 11 जनवरी, 2016**

15(क)कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना – (1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि नियम–12 के अधीन पंचायत की मतदाता सूची के अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् उसमें से किसी व्यक्ति के नाम का इस आधार पर विलोपित किया जाना चाहिए कि सम्बद्ध व्यक्ति किसी अन्य पंचायत या किसी नगरपालिका की मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त आयोग द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निर्देश यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगा :

परन्तु इस निमित्त कोई कार्रवाई करने के पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्बंधित व्यक्ति को, उसके सम्बंध में प्रस्तावित कार्रवाई की बाबत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन किसी पंचायत के वार्ड या उस निर्वाचन क्षेत्र जिसके भीतर वह वार्ड समाविष्ट है, से निर्वाचन के लिये नियम–28 के अधीन जारी सूचना में नामनिर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख के पश्चात् और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और सम्बंधित व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय से 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

16. कागज़ पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना – नियम–10 के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, नियम–11 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां, उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित तथा नियम–15(क) के अधीन कार्यवाहियों से सम्बंधित कागज़ पत्र तब तक, जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता, जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेख कोष्ठ में परिरक्षित रखे जाएंगे और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

*_*_*_*

पंचायतों की मतदाता सूचियों के सम्बंध में पूर्व सूचना

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ...

स्थान ..... तारीख़ .....

पूर्व सूचना

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के उपबन्धों के अन्तर्गत विकासखण्ड ..... के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ तारीख़ ..... से तारीख़ ..... तक निम्नांकित केन्द्रों (स्थानों) पर आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी :–

1. कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .....
   स्थान .....
   (विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की सूचियाँ)

2. कार्यालय जनपद पंचायत ..... स्थान .....
   (विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की सूचियाँ)

3. कार्यालय ग्राम पंचायत ..... विकासखण्ड .....
   (सम्बंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची)

(2) कोई भी व्यक्ति जो तारीख़ 01 जनवरी के संदर्भ में, मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस सम्बंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में तारीख़ ..... से, कार्यालय समय के दौरान कभी भी, परन्तु तारीख़ ..... को, जो कि दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की आख़री तारीख़ है, उपरान्ह 03 बजे तक उपरोक्त केन्द्रों (स्थानों) पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।

मोहर

हस्ताक्षर
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) .....

स्थान .....

क्रमांक ..... दिनांक .....

आदेश

विषय : पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति।

निम्नांकित कर्मचारियों को विकासखण्ड ..... के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ तैयार करने के कार्य में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्राधिकृत कर्मचारी उक्त मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित फार्म (प्ररूप) उपलब्ध कराने तथा फार्म भरने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ सम्बंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे :–

क्रमांक	प्राधिकृत कर्मचारी का विवरण		क्षेत्र का विवरण	कार्यालय/स्थान जहाँ बैठ कर सौंपा गया कार्य करेंगे	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके साथ सम्बद्ध रहेंगे
	नाम	पदनाम एवं कार्यालय			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मोहर

.....
हस्ताक्षर
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत)

प्रतिलिपि :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .....

(2) तहसीलदार/अपर तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी विकासखण्ड .....

(3) सम्बंधित कर्मचारी द्वारा ..... (सम्बंधित कार्यालय प्रमुख) ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित. वे कृपया दिनांक ..... को प्रातः/अपरान्ह .....बजे स्थान..... पर उपस्थित हों, जहाँ उन्हें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकाएं एवं फार्म आदि उपलब्ध कराए जायेंगे।

उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि :–

(1) मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए जिस स्थान/कार्यालय में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ उन्हें प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10:00 बजे से लेकर उपरान्ह 05:00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है। इसमें कोताही एक गम्भीर कदाचरण माना जायेगा, जिसके लिए उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(2) प्रकाशित सूची, फार्म्स और अन्य कागज़ पत्रों को वे संभालकर रखें। उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

(3) वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और वांछित सभी जानकारियाँ समय पर सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करें।

(4) ..... (सम्बंधित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी दिनांक ..... से दिनांक ..... तक उसकी सामान्य ड्यूटी से मुक्त रखें। इस अवधि पूर्व भी उसे प्रशिक्षण आदि के लिए जब भी बुलाया जाये, उसे उपस्थित होने के लिए ताकीद करें।

हस्ताक्षर
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) .....

स्थान .....

क्रमांक ..... दिनांक .....

आदेश

विषय : पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

निम्नांकित राजस्व अधिकारियों को, खण्ड ..... के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ तैयार करने के लिए, पदेन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है :–

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा (राजस्व विभाग में धारित) पदनाम	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें	
		खण्ड	ग्राम पंचायतों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
			(खण्ड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतें/संलग्न सूची में उल्लिखित ग्राम पंचायतें)

उपर्युक्त अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री .....

पदनाम ..... के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

प्रतिलिपि :–

1. सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं .....
(राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवश्यक फार्म्स/सामग्री और निर्देश पुस्तिका पृथकशः उपलब्ध कराई जायेगी।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विकासखण्ड अधिकारी .....
को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, इस कार्य में (स्टाफ/संसाधनों आदि के सम्बंध में) पूरा सहयोग दें।

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ..... को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया इस कार्य के सम्पादन में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों का तत्परता से निराकरण करायें।

4. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ..... को सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

मतदाता सूची के प्रारम्भिक प्रकाशन की सूचना

{नियम–10(1) के अंतर्गत विहित प्ररूप}

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ...

स्थान ..... तारीख़ .....

सेवा में,

जिला ..... के अंतर्गत आने वाली
ग्राम पंचायतों के मतदातागण।

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुसार जिला .... के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ तैयार हैं और आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची 01 जनवरी ..... के आधार पर तैयार की गई है।
2. कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख़ के संदर्भ में, किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस सम्बंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में आज तारीख़ ..... से कार्यालय समय के दौरान कभी भी परन्तु तारीख़ ..... को, (जो कि दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की आख़री तारीख़ है) अपरान्ह 03 बजे तक नीचे वर्णित कार्यालयों/केन्द्रों में प्रस्तुत कर सकता है। विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत किए गये दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

मोहर

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कार्यालयों/केन्द्रों की सूची

जहाँ मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध है और जहाँ दावे तथा आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती है :–

1. कार्यालय, ग्राम पंचायत ..... (सम्बंधित ग्राम पंचायत के बाबत्)
2. कार्यालय, सम्बंधित जनपद पंचायत ..... (खण्ड की किसी भी ग्राम पंचायत के बाबत्)
3. कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार/अपर तहसीलदार ..... (खण्ड की किसी भी ग्राम पंचायत के बाबत्)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

परिशिष्ट–सात

पंचायत निर्वाचन

ER-1

परिवर्धन

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा–आवेदन

(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप–ER-1")

जिला, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत जिसकी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना है	
ग्राम अथवा वार्ड क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से. मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

नाम को सम्मिलित करने के लिए आधार का विवरण

पहली बार मतदाता के रूप में	
अन्य क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण	

आवेदक का विवरण

नाम													
उपनाम													
लिंग	पुरूष		महिला		अन्य								
पिता / पति													
आयु (चालू वर्ष की 01 जनवरी को)	वर्ष						मास						
जन्म तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है	गृह क्रमांक												
मोबाईल नम्बर													
आधार नम्बर													

यदि अन्य नगर पालिका या ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित है, तो उसका विवरण

(जो लागू ना हो उसे काट दें)

जिला	
नगरपालिका	
वार्ड क्रमांक	
भाग संख्या	
मतदाता क्रमांक	

जिला	
जनपदपंचायत	
ग्राम पंचायत	
वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :–

i. मैं, भारत का / की नागरिक हूँ.

ii. मैं, ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का / की सामान्यतः निवासी हूँ.

iii. मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.

iv. उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

आयु की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पहचान की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	
पते की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेज़ का विवरण	

स्थान : .....

तारीख : .....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

ER-1

परिवर्धन

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख़	

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख़ की सूचना प्राप्त हुई.

तारीख : .....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्त्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख ..... को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

.....

.....

.....

.....

.....

तारीख़ .....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम .....)
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक ..... तारीख .....

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का/की निवासी हैं, द्वारा "ER-1" में प्रस्तुत आवेदन को :–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम ग्राम पंचायत – .....मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक ..... में सम्मिलित कर लिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :–

.....

.....

.....

.....

.....

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत .....
जिला .....

आयु, पहचान और पते की पुष्टि के लिए सम्भावित दस्तावेज़ों की सूची

आयु :– जन्मप्रमाणपत्र, मार्कशीट, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पहचान :– ऋण पुस्तिका, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

पता :– राशनकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट आदि।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

ER-2
विलोपन

परिशिष्ट–आठ

पंचायत निर्वाचन

मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आपत्ति–आवेदन

(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप–ER-2")

मतदाता का विवरण जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने पर आपत्ति है.

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता का नाम	
मतदाता क्रमांक	

आपत्तिकर्त्ता का मतदाता सम्बंधी एवं अन्य विवरण

नाम									
पिता/पति									
पता									
जिला									
जनपद पंचायत									
ग्राम पंचायत									
ग्राम/वार्ड क्रमांक									
मतदाता क्रमांक									
मोबाईल नम्बर									

आपत्ति का आधार

.....

.....

.....

.....

.....

.....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान : .....

तारीख : .....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान

ER-2
विलोपन

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई. तारीख : ..... **हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्त्ता)**	

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख ..... को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

.....

.....

.....

.....

.....

तारीख .....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम .....)
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक ..... तारीख .....

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

द्वारा ER-2 में प्रस्तुत आपत्ति को :–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उक्त ग्राम पचांयत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक ..... के मतदाता क्रमांक ..... पर उल्लेखित श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के नाम को विलोपित कर दिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :–

.....

.....

.....

.....

.....

.....

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत .....
जिला .....

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

परिशिष्ट–नौ

ER-3

पंचायत निर्वाचन

संशोधन

मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन–आवेदन

(नियम 11(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-3")

मतदाता का विवरण

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
मतदाता का नाम	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.5से.मी.X3.5से. मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

अशुद्धि का विवरण, जिसे शुद्ध किया जाना है.

अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	सुधार हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान : .....

तारीख : .....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

ER-3

संशोधन

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

तारीख : .....

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्त्ता)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप

1. मामले में आवेदक को सुनवाई के लिए तारीख ..... को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.
2. प्रारंभिक जाँच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

.....

.....

.....

.....

.....

तारीख .....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम .....)
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

आवेदन के सम्बंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक ..... तारीख़ .....

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

द्वारा प्ररूप–ER-3 में प्रस्तुत आपत्ति को :–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जायेगी :–

.....

.....

.....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :–

.....

.....

.....

.....

.....

मोहर

हस्ताक्षर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जनपद पंचायत .....
जिला .....

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .....

स्थान .....

प्रकरण क्रमांक ..... तारीख़ .....

विषय : ग्राम पंचायत ..... की मतदाता सूची से नाम हटाया जाना।

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से आपका नाम निम्नांकित आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव है :–

.....

.....

.....

2. एतद्द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आप कारण बताएं कि आपके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए ? आपका उत्तर मेरे पास निम्नांकित कंडिका में अंकित तारीख़ और समय तक पहुँच जाना चाहिए।

3. यदि आप मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हों तो, ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप अपने अभ्यावेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहें, तारीख़ ..... को समय 10:30 बजे प्रातः स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।

   निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मोहर

हस्ताक्षर .....

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(नाम .....)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .....

स्थान .....

क्रमांक ..... तारीख़ .....

विषय : ग्राम पंचायत ..... की मतदाता सूची में नाम शामिल करना।

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में, निम्नांकित तालिका में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम असावधानीवश छूट गए हैं, जिन्हें सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसे इन नामों को शामिल किए जाने के सम्बंध में कोई आपत्ति हो, वह ऐसा कर सकता है और तारीख़ ..... को समय 10:30 बजे प्रातः स्थान ..... में स्थित मेरे कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य के साथ, सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मोहर

हस्ताक्षर .....

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(नाम .....)

तालिका

क्रम संख्या	मतदाता का नाम और पिता/पति का नाम	वार्ड का विवरण		
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	गृह क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची का पुनरीक्षण
ग्राम पंचायत का नाम .....
दावे आपत्तियों का दैनिक विवरण
दिनांक : .....
भाग–1 (दावा आवेदन ER-1)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग–2 (विलोपन हेतु आपत्ति आवेदन ER-2)

क्रमांक	आपत्तिकर्त्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	

भाग–3 (संशोधन आवेदन ER-3)

क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जाँच/सुनवाई के लिए नियत तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	प्रविष्टि क्रमांक	

तारीख .....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम .....)

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

जिला .....

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी .....

खण्ड ..... के ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची ..... वर्ष .....

दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर

दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख़	ग्राम पंचायत का नाम	प्रकरण का शीर्ष और क्रमांक*		परिवर्धन/संशोधन/विलोपन से सम्बंधित व्यक्ति का विवरण				प्रकरण में पारित आदेश का सार		सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
		शीर्ष	क्रमांक	नाम और पिता/पति का नाम	मतदाता सूची में			तारीख़	दावा/आपत्ति स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत ?	
					वार्ड क्रमांक	ग्राम	सरल क्रमांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

*टीप :– (1) दावा/आपत्ति के प्ररूप (फार्म) के अनुसार ही, शीर्ष के अन्तर्गत **ER-1**, **ER-2** या **ER-3** लिखा जाये।

(2) प्राधिकृत कर्मचारियों से तारीख़वार प्राप्त दावे और आपत्तियों पर तथा स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरणों में (यदि कोई हों) तारीख़वार, बढ़ते हुए क्रम में, क्रमांक डाले जायें और उसी क्रमांक को प्रकरण का "क्रमांक" शीर्ष के अन्तर्गत लिखा जाये।

कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ...

स्थान .....

प्रकरण क्रमांक ..... तारीख़ .....

प्रति,

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)
.....
.....
.....

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि विकासखण्ड ..... की ग्राम पंचायत ..... की मतदाता सूची में, वार्ड क्रमांक ..... (ग्राम .....) के अन्तर्गत सरल क्रमांक ..... पर आपका नाम शामिल किए जाने पर/आपसे सम्बंधित प्रविष्टि के ब्यौरे पर, निम्नांकित मतदाता ने आपत्ति की है :–

(आपत्तिकर्ता का नाम और पता)
.....
.....
.....

आपत्ति के आधार, संक्षेप में, इस प्रकार है :–
.....
.....
.....
.....

2. उपरोक्त आपत्ति पर मेरे द्वारा तारीख़ ..... को समय 10:30 बजे प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान ..... में स्थित है, सुनवाई की जायेगी।

   एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहें, उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हों। अन्यथा मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करके उसका निराकरण कर दिया जायेगा।

मोहर

हस्ताक्षर .....

(नाम .....)

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील (आक्षेपित व्यक्ति का नाम) ..... पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख़ ..... को कर दी है।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

(तामील करने वाला कर्मचारी)

नोट :– यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाये।

सूचना की तामील रसीद

प्रकरण क्रमांक .....

सुनवाई की तारीख़ की सूचना प्राप्त हुई

तारीख़ .....

हस्ताक्षर या अंगूठा निशान .....

(आक्षेपित व्यक्ति)

अनुपूरक मतदाता सूची

ग्राम पंचायत..... (विकासखण्ड .....)

वर्ष .....

(1) परिवर्धन :

क्रमांक	वार्ड क्रमांक	ग्राम	गृह क्रमांक	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष या महिला/अन्य	आयु	मतदाता का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(2) संशोधन :

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम	दर्ज प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रविष्टि

(3) विलोपन :

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला .....

मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला ..... के विकासखण्ड ..... के अंतर्गत आनेवाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुसार 01 जनवरी ..... के संदर्भ में संशोधनों सहित तैयार कर प्रकाशित कर दी गई हैं और मेरे कार्यालय तथा सम्बंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अर्थात् तहसीलदार .....) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

तारीख़ .....
स्थान .....

(हस्ताक्षर) .....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पता .....

.....

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

परिशिष्ट–सत्रह

ER-4
अपील

पंचायत निर्वाचन

रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

(नियम–12(5) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "ER-4")

दिनांक : .....
स्थान : .....

प्रति,

अपील प्राधिकारी,
मतदाता सूची पुनरीक्षण (पंचायत)
.....
जिला – .....

विषय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद पंचायत – ..... के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के विरूद्ध अपील।

––X––

1. विषयांतर्गत आदेश से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करता/करती हूँ। विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।
2. विषयांतर्गत प्रकरण में मैने निम्नानुसार आपत्ति/दावा पेश किया था :–
.....
.....
.....
.....
.....
3. मेरी अपील के आधार निम्नानुसार है :–
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ER-4

अपील

4. मेरा नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है। उसका विवरण निम्नानुसार है (लागू न हो तो काट दें) :–

जिला	
जनपद पंचायत	
ग्राम पंचायत	
ग्राम/वार्ड क्रमांक	
मतदाता क्रमांक	

5. निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों एवं तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए विवादित आदेश निरस्त किया जाये, तथा मेरा दावा/आपत्ति स्वीकार की जाये।

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

पूरा नाम .....

पिता/पति का नाम .....

पता – .....

.....

मोबाईल नम्बर – .....

घोषणा

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लेखित कथन सत्य है।

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

पूरा नाम .....

संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण

क्रमांक	**दस्तावेज़ का विवरण**
1.	विवादित आदेश की प्रति।
2.	
3.	
4.	
5.	

पावती

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख	
प्रस्तुत अपील आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई. तारीख : ..... **हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (प्रस्तुतकर्त्ता)**	

प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–10 के तहत् जिला ..... जनपद पंचायत .....ग्राम पंचायत ..... की दिनांक 01 जनवरी ..... के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक ..... को किया गया है।

दिनांक :–

स्थान :–

प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम .....

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

जिला .....

अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के तहत् जिला ..... जनपद पंचायत .....ग्राम पंचायत ..... की दिनांक 01 जनवरी ..... के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक ..... को किया गया है।

दिनांक :–

स्थान :–

प्राधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम .....

ग्राम पंचायत .....

जनपद पंचायत .....

जिला .....

सेम्पल–1

Control Table Checklist of Rural Bodies

जिले का नाम : **हरदा** विकासखण्ड का नाम : **हरदा**

पंचायत क्र.	पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्र.	मतदान केन्द्र का नाम	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र में सम्मिलित वार्ड वार्ड नं.	गांव का नाम
1	सोनखेडी					
		1	शा.प्रा.शाला भवन सोनखेडी	562		
					1	सोनखेडी
					2	सोनखेडी
					3	सोनखेडी
					4	सोनखेडी
					5	सोनखेडी
					6	सोनखेडी
					7	सोनखेडी
		2	शा.प्रा.शाला भवन कक्ष क्र.1 भुवनखेडी	905		
					8	भुवनखेडी
					9	भुवनखेडी
					10	भुवनखेडी
					11	भुवनखेडी
					12	भुवनखेडी
					13	भुवनखेडी
					14	भुवनखेडी
					15	भुवनखेडी
					16	भुवनखेडी
					17	भुवनखेडी
2	डगॉवनीमा					
		3	शा.प्रा.शाला भवन डगावांनीमा	719		
					1	डगॉवनीमा
					2	डगॉवनीमा
					3	डगॉवनीमा
					4	डगॉवनीमा
					5	डगॉवनीमा
					6	डगॉवनीमा
					7	डगॉवनीमा
					8	डगॉवनीमा
		4	शा.प्रा.शाला भवन जिजगांव कलां	351		
					9	जिजगांव कलां
					10	जिजगांव कलां
					11	जिजगांव कलां
					12	जिजगांव कलां
3	भुन्नास					
		5	शा.मा. शाला भवन उत्तरीय खण्ड भुन्नास	723		
					1	भुन्नास
					2	भुन्नास
					3	भुन्नास
					4	भुन्नास
					5	भुन्नास
					6	भुन्नास
					7	भुन्नास
					8	भुन्नास
		6	शा.मा.शाला भवन दक्षिणी खण्ड भुन्नास	631		
					9	भुन्नास

सेम्पल–2

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा

भाग संख्या : 1

मतदाता क्रमांक	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	शिफ्टिंग के लिए मार्किंग: क्षेत्र U R	वार्ड नंबर / पंचायत क्र व नाम	भाग संख्या / वार्ड नंबर	मोहल्ला क्र.
अनुभाग : 1-साल्याखेड़ी , ग्राम-साल्याखेंडी , 461331											
83	5	गोपाल भाबरे	पिता भीमसिंह	M	22	WMQ1034875					
84	5	सुनीता	पति राकेश	F	20	WMQ1110337					
166	12	रोशनी	पिता बुद्या	F	23	WMQ1034883					
167	12	सुनील	पिता बुध्दा	M	19	WMQ1051051					
212	16	राजेश	पिता कल्लुसिंह	M	25	WMQ1034867					
323	35	रजनी	पिता रामभरोस	F	20	WMQ1100619					
385	43	ममता	पति राकेश	F	19	WMQ1107556					
435	48	संगीता	पति राजेश	F	32	WMQ1051069					
439	48	संगीता	पति संदिप	F	24	WMQ1051077					
444	49	आनंद	पिता हरि	M	19	WMQ1100627					

सेम्पल–3

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

विकासखण्ड : हरदा **जिला : हरदा** **ग्राम पंचायत : अबगॉवखुर्द**

विधानसभा में विवरण						पंचायत में विवरण							
निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	विलोपन का कारण	फोटो	मतदाता क्र.	निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	लिंग	पिता/पति का नाम	आयु	गृह संख्या	फोटो	सत्यापन मार्किंग (√ / X)
जगदीश BYS0023747	पिता देवचन्द	M	53	Expired		1149	जगदीश BYS0023747	M	पिता देवचंद	52	178		☐
रमेशकुमार WMQ5861703	पिता रामचरण	M	65	Expired		1373	रमेशकुमार WMQ5861703	M	पिता रामचरण	64	203/1		☐
बाबूलाल BYS0025056	पिता मोजीराम	M	66	Expired		1542	बाबूलाल BYS0025056	M	पिता मोजीराम	65	219/क		☐
प्रमोद BYS4650461	पिता प्रहलाद	M	44	Expired		1585	प्रमोद BYS4650461	M	पिता प्रहलाद	43	226		☐

कुल संख्या :	4

सेम्पल–4

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची

संशोधन - वेरिफिकेशन सूची

विकासखण्ड : हरदा जिला : हरदा ग्राम पंचायत : सोनखेडी

विधानसभा में विवरण						नगरीय निकाय में विवरण							
निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो		मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम ईपिक संख्या	पिता/पति का नाम लिंग	आयु	गृह संख्या	फोटो		सत्यापन मार्किंग (√ / X)	
शिवराम MP/28/227/003701	पिता मुंशी M	42				2 शिवराम MP/28/227/003701	पिता मुंशी M	42	1			☐	
पारवती MP/28/227/003583	पति जगदीश F	45				27 पारवती MP/28/227/003583	पति जगदीश F	45	3			☐	
शांती MP/28/227/003595	पति रामाधार F	67				130 शांती MP/28/227/003595	पति रामाधार F	66	22			☐	
रमेश MP/28/227/003312	पिता मोती M	59				145 रमेश MP/28/227/003312	पिता मोती M	58	24			☐	
गायत्री MP/28/227/003289	पति रमेश F	56				146 गायत्री MP/28/227/003289	पति रमेश F	55	24			☐	
गंजू BYS4610291	पिता सुक्कू M	32				170 गंजू BYS4610291	पिता सुक्कू M	31	26			☐	
सुगना MP/28/227/003302	पति बक्सु F	64				181 सुगना MP/28/227/003302	पति बक्सु F	63	28			☐	
रामनिवास MP/28/227/003629	पिता रामभाऊ M	43				183 रामनिवास MP/28/227/003629	पिता रामभाऊ M	42	29			☐	
सुमन MP/28/227/003309	पति गोरेलाल F	58				188 सुमन MP/28/227/003309	पति गोरेलाल F	57	30			☐	
अनिल BYS4610440	पिता गोरेलाल M	32				189 अनिल BYS4610440	पिता गोरेलाल M	31	30			☐	
सरोजबाई BYS4610317	पति अनिल F	31				190 सरोजबाई BYS4610317	पति अनिल F	30	30			☐	
गना MP/28/227/003847	पति चम्पालाल F	46				199 गना MP/28/227/003847	पति चम्पालाल F	45	32			☐	
चैनसिंह MP/28/227/003608	पिता रामभाउ M	51				210 चैनसिंह MP/28/227/003608	पिता रामभाउ M	50	35			☐	
संतोष WMQ0787028	पिता माखन M	22				268 संतोष WMQ0787028	पिता माखन M	21	42			☐	
धीरसिंह MP/28/227/003867	पिता कुंजीलाल M	49				271 धीरसिंह MP/28/227/003867	पिता कुंजीलाल M	48	44			☐	

सेम्पल–5

ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके नाम पंचायत की अद्यतन मतदाता सूची में तो शामिल है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

जांच सूची

विकासखण्ड : हरदा | जिला : हरदा | ग्राम पंचायत : भाटपरेटिया

मतदाता क्र.	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो
वार्ड संख्या - 1	(ग्राम : भाटपरेटिया)						
3	1	केसर	पति कैलाश	F	45	MP/28/227/171218	
42	3	राधिका	पिता मदन	F	25	WMQ0641456	
52	5	निर्मला	पति कमल	F	44	MP/28/227/171375	
58	7	केदार	पिता बिहारी	M	66	MP/28/227/171411	
59	7	लक्ष्मी	पति केदार	F	59	MP/28/227/171367	
वार्ड संख्या - 2	(ग्राम : भाटपरेटिया)						
97	14	हरगोविंद	पिता शांतिलाल	M	62	MP/28/227/171332	
98	14	आशिश	पिता हरगोविंद	M	41	MP/28/227/171497	
124	18	अर्पिता	पिता राधेश्याम	F	28	WMQ0553982	
125	18	पूजा	पिता राधेश्याम	F	27		
128	18	ज्योति	पिता राधेश्याम	F	22		
131	19	बीनू	पति हरनाम	F	58	MP/28/227/171511	
132	19	रामहरि	पिता हरनाम	M	41	MP/28/227/171521	
141	20	रश्मी	पिता विष्णुप्रसाद	F	31	WMQ0060251	
170	52	प्रवीण	पिता देवी सिंह	M	21		

सेम्पल–6(1)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
एक ही विकासखण्ड में दो या अधिक स्थानों पर दर्ज है (कुल मतदाता : 30)

विकासखण्ड : हरदा

सत्यापन मार्किंग (√)

पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
रहटाखुर्द	11	905	154	सेराबाई	महताबसिंह	F	68	BYS0273391		☐	☐
रहटाखुर्द	12	950	154	सेराबाई	महताबसिंह	F	68	BYS0273391		☐	☐
सोनखेडी	10	840	51	ईश्वर	लक्ष्मीनारायण	M	27	BYS4698999		☐	☐
सोनखेडी	11	844	51	ईश्वर	लक्ष्मीनारायण	M	27	BYS4698999		☐	☐

सेम्पल–6(2)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(दो या दो से अधिक विकासखण्डों में) (कुल मतदाता : 18)

जिला - हरदा

सत्यापन मार्किंग (√)

विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड क्र.	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
वि.खं. खिरकिया	खमलाय	1	3	1	किरण	पति परमानंद	F	43	BZZ4478343		☐	☐
वि.खं. टिमरनी	फुलडी	1	11	5क	शांति	पति सदामी	F	39	BZZ4478343		☐	☐
वि.खं. टिमरनी	फुलडी	4	382	75ख	अमरदास	पिता सरवन	M	58	MP/28/226/216157		☐	☐
वि.खं. हरदा	पांचातलाई	11	847	7	हरीराम	पिता नन्हु	M	62	MP/28/226/216157		☐	☐

सेम्पल–6(3)

दो स्थानों पर नाम दर्ज होने वाले डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची
(नगरीय निकाय एवं पंचायत में) (कुल मतदाता : 14)

जिला - हरदा — **विकासखण्ड क्रमांक - 1 (कुल मतदाता : 6)**

सत्यापन मार्किंग (√)

नगरीय / पंचायत	नगरीय निकाय / विकासखण्ड का नाम	वार्ड क्र.	भाग क्र.	मोहल्ले का नाम / पंचायत का नाम	क्रम संख्या	गृह संख्या	निर्वाचक का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	आयु	ईपिक संख्या	फोटो	मतदाता सूची से हटाया जाना है	मतदाता सूची में रखा जाना है
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	413	59ख	कृष्णाबाई	पति भगवानदास	F	51	MP/28/227/303034		☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेडीपुरा रोड	834	121	किरण	पति शांतीलाल	F	48	MP/28/227/303034		☐	☐
पंचायत	वि.खं. खिरकिया	4		भगवानपुरा	410	59ख	भारतलाल	पिता हरीशंकर	M	72	MP/28/227/303193		☐	☐
नगरीय	न.प. खिरकिया	2	1	खेडीपुरा रोड	457	60/1	सुनिल	पिता हरिप्रसाद	M	43	MP/28/227/303193		☐	☐